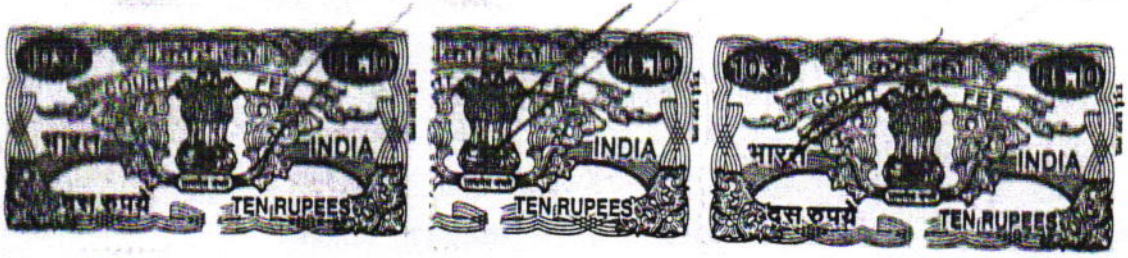

प्र.क्र. ....

प्रस्तुति दिनांक ..08/07/13..

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

केम्प इन्दौर

श्री विजय काकड़े
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 8-7-2013
को प्रस्तुत

500/08.07.2013

रीवी 2833-PBR/13

कमलाबाई पिता जगन्नाथ जी
निवासी – ग्राम जोशी गुराड़िया
तहसील महू जिला इन्दौर (म.प्र.) .... याचिकाकर्ता

विरूद्ध

सत्यनारायण पिता रामरतनजी पाटीदार
निवासी – ग्राम जोशी गुराड़िया,
तहसील महू जिला इन्दौर (म.प्र.) .... रिस्पांडेन्ट

पुर्नविचार याचिका म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 51 सहपठित धारा 32 व व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 114 एवं आदेश 47 नियम 1 के अंतर्गत ।

महोदय,

आवेदक/याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 2080–पी.बी.आर.12012 में दिनांक 02 मई 2013 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर एवं पीड़ित एवं प्रभावित होने वाला पक्षकार होने से यह पुर्नविचार याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत की जा रही है :–

17-7-13

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2833–दो/2013 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–3–2016	आवेदक की ओर से रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । प्रकरण से सम्बंधित समस्त अभिलेखों एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 2–5–2013 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 2080–पीबीआर/2012 में पारित आदेश दिनांक 2–5–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण अभिलेख में ऐसी कोई साक्ष्य अथवा बात का उल्लेख नहीं किया गया है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, और न ही अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि ही दर्शाई गई है। इस न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रकिया को त्रुटिपूर्ण ठहराने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	